बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

"दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 के मुद्रण हेतु निविदा का दिशा निर्देश"

1. निविदा के कवर पर संस्थान का नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवार्य है एवं उसके साथ प्रेस डेकलेरेशन संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदा के साथ न्यूनतम 07 (सात) वर्ष का कार्यानुभव (दैनन्दिनी या उसके समान प्रकृति का कार्य), फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न रहना चाहिए।
3. वर्ष 2025 एवं 2026 की दिनपत्री के साथ बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी-2025 के प्रारंभ एवं बीच में लगभग 80 (अस्सी) रंगीन पृष्ठ के साथ हीं लगभग 85 पृष्ठों में विविध सूचनाऐं मुद्रित होगी। निविदा के साथ स्वीकृत नमूना के अनुरूप तैयार नमूना संलग्न करना आवश्यक है। दिनपत्री मुद्रक द्वारा तैयार करना होगा साथ हीं प्रूफ रिडिंग भी निविदादाता संस्थान को स्वयं करना होगा।
4. मुद्रण आई.टी.सी. 80 जी.एस.एम. पेपर पर होगा, कवर पेपर (रेकसीन पर बिहार विधान परिषद् एवं बौद्ध वृक्ष गोल्डेन हिटेड इंबौस) कलर फोटो 06, फोटो-170 जी.एस.एम., आर्ट पेपर तथा लगभग 80 रंगीन पृष्ठ-130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा साथ ही दैनन्दिनी की तानों साईड गोल्डेन हीट इंबौस होगा।
5. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं संख्यांकित होना चाहिए।
6. निविदादाता के पास अपनी अत्याधुनिक 04 कलर सीट ऑफसेट एवं 2 कलर हैडलबर्ग साईज (25X36) तथा आधुनिक बाईडिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए।
7. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जाएगा उन्हे उक्त कार्य के लिए जमानत की राशि के रूप में दैनन्दिनी हेतु एक लाख रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् के नाम से होगा, जो कि मुद्रण का कार्य संतोषप्रद करने के पश्चात वापस कर दिया जाएगा।
8. दैनन्दिनी 2025 के 2500 प्रति एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 के 2500 का मुद्रण कर निश्चित रूप से दिसम्बर के तृतीय सप्ताह में आपूर्ति करनी होगी, विलंब होने पर दंड स्वरूप कुल राशि के 05 प्रतिशत की कटौती प्रतिदिन के दर से की जाएगी।
9. निविदादाता को निविदा के साथ अभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित हो कि उनके फर्म को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित (सरकारी अथवा अर्धसरकारी) संस्थान के द्वारा काली सूची में नही रखा गया है, तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नही है।
10. सभी प्राक्कलन सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद् के कार्यालय कक्ष में दिनांक-04.11.2024 को 01.00 बजे अपराह्न तक सचिव कोषांग में जमा की जायेगी तथा उसी दिन 04.00 बजे सचिव महोदय के समक्ष खोली जायेगी।
11. दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 के नमूना, पृष्ठों की संख्या तथा अन्य जानकारी के संबंध में किसी भी कार्यदिवस को प्रकाशन शाखा एवं लेखन सामग्री शाखा, बिहार विधान परिषद् से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। नमूना के अवलोकन तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही प्राक्कलन परिषद् सचिवालय को समर्पित करें। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो अलग-अलग लिफाफा में होगा।
12. मुद्रक द्वारा दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 की सॉफ्ट कॉपी एम.एस. वर्ड एवं पी.डी.एफ. फॉर्मेट में पेन ड्राईव के माध्यम से परिषद् सचिवालय में प्राप्त कराना होगा।
13. उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट तथा विलम्ब से प्राप्त निविदा पर किसी प्रकार का विचार नहीं होगा।
14. किसी अथवा सभी प्राक्कलन को बिना कारण बताये रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव महोदय को होगा। निविदा बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट-http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है।

मिथिलेश 18/10/24

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

<u>निविदा</u>

"दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025"

बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 को मुद्रित करने हेतु इच्छुक फर्मों/प्रतिष्ठानों से न्यूनतम दर सहित लिफाफे में निविदाएं दिनांक-04.11.2024 को 01.00 बजे अप० तक सचिव, बिहार विधान परिषद् के नाम से यथा निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निदेश बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट- http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखी जा सकती है, साथ हीं बिहार विधान परिषद् दैनन्दिनी 2025 एवं दूरभाष निर्देशिका 2025 के नमूने, मुद्रित प्रति की संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार तथा अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रकाशन शाखा, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त किया जा सकता है।

18/10/24

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।